

FP/UP/Road/40150/2020

भाग-व

(वन विभाग के प्रमारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17. राज्य सरकार की सिफारिश :  
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या  
भाग - iv में किसी अधिकारी या  
प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल  
टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की  
जाए)

CF, 21/01/2020 की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है ।

दिनांक : 21/01/20

स्थान : .....

हस्ताक्षर :

नाम : Anupam Gupta  
मोहर : Chief Conservator of Forests/Forest Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
U.P. Lucknow

(21/01/20)